Details Regarding Tubewell

***104 Smt. Naina Singh Chautala (Badhra):-**

Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state:-

a) the per tubewell extent of amount spent on the functioning and maintenance of Borewell (tubewell), pipeline, wall etc. installed for the supply of drinking water in the rural areas of State;

b) the per month salary being given to a tubewell operator for the operation of above said tubewells;

c) whether there is any provision to pay the necessary amount for functioning and maintenance of tubewells installed for the supply of drinking water in those Panchayats who don't have any income from their own sources; and

d) if so, the details of the amount thereof ?

SH. DEVENDER SINGH BABLI, DEV. & PANCHAYATS MINISTER

a) Sir, as per the information supplied by the Public Health Engineering Department, an amount of Rs. 1.17 lacs to Rs. 2.17 lacs per annum per system approximately is generally spent on the functioning and maintenance of Borewell (Tubewell), pipeline, valve etc. for supply of drinking water in rural areas.

b) The Development & Panchayats Department is paying monthly honorarium @ Rs. 11691/- to each Tubewell operator.

c) Yes Sir.

d) The Public Health Engineering Department carries out maintenance of drinking water tubewells installed in those Panchayats which don't have any income from their own sources. However, each Panchayat can also use funds from the tied component of the grant received under the 15th Finance Commission related to supply of drinking water.

टयूबवैल के सम्बंध में

तारांकित 104 श्रीमति नैना सिंह चौटाला (बाढ़डा)

क) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए लगाए गए बोरवैल (टयूबवैलों), पाईप लाईन, वाल्व इत्यादि पर संचालन एवं रख–रखाव के लिए प्रति टयूबवैल खर्च की गई राशि।

ख) टयूबवैल ऑपरेटर को उपर वर्णित टयूबवैल के लिए संचालन प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है।

ग) क्या जिन पंचायतों में अपने स्त्रोतों से कोई आय नहीं है, उन पंचायतों में जल आपूर्ति के लिए लगाए गए टयूबवैलों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक राशि का कोई प्रावधान है।

घ) अगर कोई है तो उस राशि का विवरण।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार

क) श्रीमान्, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बोरवेल (ट्यूबवैल), पाइपलाइन वाल्व आदि के संचालन और रख–रखाव पर प्रतिवर्ष प्रति स्कीम लगभग 1.17 लाख रुपये से 2.17 लाख रुपये तक की राशि खर्च की जाती है।

ख) विकास एवं पंचायत विभाग प्रत्येक नलकूप संचालक को 11691/– रूपये की दर से मासिक मानदेय का भुगतान कर रहा है।

ख) हाँ, श्रीमान्।

ग) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उन पंचायतों में स्थापित पेयजल नलकूपों का रख–रखाव करता है, जिनके पास अपने स्वयं के स्रोतों से कोई आय नहीं है। तथापि, प्रत्येक पंचायत पेयजल की आपूर्ति के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के टाईड घटक से संबंधित निधियों का भी उपयोग कर सकती है।